Email fmo@nic.in

Urgent

From : mayankmca2017@gmail.com Sun, Oct 18, 2020 10:47 PM

Subject : Urgent 1 attachment

To : fmo <fmo@nic.in>, nsitharaman@gmail.com, Nirmala Sitharaman <nsitharaman@nic.in>, wim-dfs@nic.in, appointment fm <appointment.fm@gov.in>

सेवा में,

वित्त मंत्री महोदया,

भारत सरकार

महोदया,

1 रुपये के छोटे सिक्के, 5 रुपये के 6.00gm वाले Ferritic Stainless Steel (FSS) से बने सिक्के और बिना ₹ प्रतीक वाले 15 लाइनों वाले 10 रुपये के सिक्कों को आगरा (उत्तर प्रदेश) के बाज़ार ने चलन से बाहर कर दिया है। 10/जून/2020 को इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को बताया गया जिसके उत्तर में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बताया कि सभी सिक्के वैध हैं और और देश में चलन में हैं और **भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 1 जुलाई 2019 के मास्टर परिपत्र डीसीएम (एनई) No.G-2/ 08.07.18/ 2019-20, "नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा" द्वारा सभी बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में लेनदेन अथवा विनिमय में सभी मूल्यवर्ग के सिक्के स्वीकारने हेतु निर्देशित किया हैं।**

दिनांक 06/अगस्त/2020 को प्रार्थी अपनी गृह शाखा **SBI नेहरू नगर आगरा** गया जहाँ प्रार्थी ने **कैशियर श्री अग्रवाल जी** को 10 रुपये के कुल 10 सिक्के दिए अपनी बहन के खाते में जमा करने के लिए। उन 10 रुपये के 10 सिक्कों में कुल 4 सिक्के बिना ₹ प्रतीक वाले 15 लाइनों वाले 10 रुपये के सिक्के थे। साथ ही प्रार्थी ने अपने पिता के खाता में जमा करने हेतु 500 रुपये की पत्र मुद्रा कैशियर श्री अग्रवाल जी को दी। उन्होंने पिताजी के खाते में तो रुपये जमा कर दिए किन्तु उन सिक्कों को लेने से स्पष्ट इंकार करते हुए बहन के खाते में उसे जमा नहीं किया।

शाखाधिकारी के उपलब्ध न होने की स्तिथि में सहायक प्रबंधक महोदय श्री पवन कुमार जी को इस बात से अवगत करवाया तो वो बोले हमारी शाखा सिक्के नहीं लेती अतः हम आपकी बहन के खाता में रुपया जमा नहीं कर सकते।

इसकी जानकारी तत्काल RBI को देने के बावजूद भी RBI ने कोई कार्यवाही न करते हुए 20/अगस्त/2020 को ये लिख दिया कि उसी बैंक के नोडल अधिकारी को शिकायत दे दो या फिर बैंकिंग लोकपाल को लिख दो।

प्रार्थी ने RBI के CMS पोर्टल पर (सन्दर्भ संख्या: 202021011009190) इसकी शिकायत की किन्तु इस पर बिना कार्यवाही किये इसे बंद कर दिया गया।

महोदया प्रार्थी के पास लगभग 200 रुपये करीब के 1 रुपये के छोटे सिक्के, 50 रुपये करीब के 5 रुपये के 6.00gm वाले Ferritic Stainless Steel (FSS) से बने सिक्के और करीब 120 रुपये के बिना ₹ प्रतीक वाले 15 लाइनों वाले 10 रुपये के सिक्के हैं। जिसे बाजार क्या आपकी राष्ट्रीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा तक नहीं ले रही। और तो और RBI भी उदासीन बैठा है ऐसे में **भारतीय धातु मुद्रा की क्या स्तिथि है अपने ही देश में आप समझ सकती हैं**। जब RBI इतना उदासीन बैठा है तो भारतीय पत्र मुद्रा पर गवर्नर महोदय के हस्ताक्षर के ऊपर "मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ" वाला वाक्य क्यों लिखा जाता है?

अतः इस देश का एक सम्मानित नागरिक होने के नाते माननीय वित्तमंत्री महोदया से महज़ इतनी दरख़्वास्त है कि मामले की गम्भीरता को समझते हुए प्रार्थी के वो सभी सिक्के बदलने का आदेश देते हुए SBI की शाखा द्वारा सिक्के न स्वीकार करने का उत्तर लेते हुए और RBI द्वारा कार्यवाही न करने का कारण पूछते हुए गलत अधिकारियों पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

प्रार्थी

मयंक सक्सैना,

22/82, विजय नगर कॉलोनी,

आगरा - उत्तर प्रदेश - 282004

Report.pdf
7 KB